HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2068/2025

In

S.B. Criminal Appeal No. 2780/2024

Insad S/o Vahid Khan, R/o Chuhadpur, Police Station Chaupanki, District Alwar. (At Present Confined At Central Jail, Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1863/2024

In

S.B. Criminal Appeal No. 2781/2024

Mubarik S/o Mangal @ Kalu, R/o Chuhadpur, Police Station Chaupanki, District, Alwar. (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rakesh Kumar with Ms. Priyanka Chauhan Mr. Sanjay Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

29/04/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **इनसाद एवं मुबारिक** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, क्रम संख्या–3, अलवर (राज0)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**30/2022 राजस्थान राज्य** बनाम **सलीम खान एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **30.09.2024** के विरूद्ध ये सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र पृथक–पृथक प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही आक्षेपित निर्णय से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया रहा हैं।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दौराने विचारण कुछ समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, तत्पश्चात् वे जमानत पर आजाद रहे हैं तथा वर्तमान में निर्णय की दिनांक 30.09.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनका यह भी तर्क है कि पीडिता के बयान विश्वसनीय नहीं है, लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में पीडिता द्वारा तीन लोगों के विरूद्ध बलात्कार किये जाने के तथ्य अंकित किये हैं तथा पीडिता के बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 दिनांकित 07.07.2021 प्रदर्श पी–5 के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें भी पीड़िता द्वारा इनसाद, सलीम और मुबारिक के विरूद्ध गलत कार्य किये जाने की साक्ष्य दी है, परंतु विचारण के दौरान पीडिता द्वारा पी.डब्ल्यू–1 के रूप में लेखबद्ध बयान में अभियुक्त सलीम खान के अलावा दो व्यक्तियों के विरूद्ध ही साक्ष्य दी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि सलीम का विचारण अलग प्रकरण में हुआ है तथा सलीम के विचारण के दौरान पीडिता पक्षद्रोही

घोषित हुई है, सलीम के विचारण के दौरान पीडिता के बयान पी.डब्ल्यू–2 के रूप में दिनांक 14.12.2021 को अन्य सेशन केस नंबर–32/2021 पोक्सो न्यायालय संख्या–03, अलवर में लेखबद्ध किये गए हैं, जिसमें पीड़िता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है तथा स्पष्ट तौर पर बताया है कि सलीम ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की है। उनका यह भी तर्क रहा है कि पीडिता ने अलग–अलग समय पर अलग अलग साक्ष्य दी है, जो विश्वसनीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पीडिता की साक्ष्य व अन्य गवाहान की साक्ष्य तथा उपलब्ध तथ्यों का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन नहीं किया है। गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। अपील में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने बाबत् पर्याप्त आधार एवं सुदृढ साक्ष्य विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में पीडिता अवयस्क है, अपराध की प्रकृति गम्भीर है, अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

परिवादी पक्ष की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पीडिता के बयान पी.डब्ल्यू–1, पीडिता के बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0, पीडिता की ओर से दी गई लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया, अतः उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से पृथक–पृथक प्रस्तुत ये सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय

के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **01.06.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. इनसाद पुत्र श्री वहीद खां एवं 2. मुबारिक पुत्र श्री मंगल उर्फ कालू** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /33-34